Regarding welfare of Central Armed Police Forces

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदया, केन्द्रीय पुलिस बल, सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें बी.एस.एफ.. सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., एन.एस.जी., एस.एस.बी., असम राइफल्स शामिल हैं । हमारे इन पुलिस बलों के ऊपर न सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक, नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं पर, बन्दरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है । यहां तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इनके हाथों में दी गयी है । आपके माध्यम से मैं इनके हितों से जुड़ी हुई दो-तीन बातें रखना चाहता हूं ।

महोदया, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब देश के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गयी तो उस समय यह कहा गया - ?New Pension Scheme for all employees except for the Armed Forces in the first stage?. उसमें आर्मी, नेवी, और एयर फोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है । लेकिन, उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह क्लैरिफाई किया कि ये जो सी.ए.पी.एफ. हैं, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं । ये भी आर्म्ड फोर्सेज़ की परिभाषा में आने चाहिए । इसलिए जब इन्हें देश की सुरक्षा दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी हमारी सरकार का कार्य है ।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इनके लिए 100 दिनों का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स न हों, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । इन फोर्सेज़ को केवल 60 दिनों का अवकाश दिया जा रहा है । इनके लिए 100 दिनों का अवकाश सुनिश्चित किया जाए ।

हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज़ पर अर्द्धसैनिक बोर्ड का गठन हो । हरियाणा राज्य के साथ-साथ हर राज्य में अर्द्धसैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के हितों की सुरक्षा की जाए ।